



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्ना कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-41/भाग- /कृषि/2015-16/

दिनांक 04.06.2015

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के विभिन्न चकों पर खड़े जुलीफलोरा, अवांछनीय पौधे व झाड़ियों को जमीनी सतह से खोद कर तथा आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही खड़े पेड़ों की छंगाई कर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने के लिए सीलबन्द निविदायें चकवार आमंत्रित की जाती हैं। सीलबन्द निविदा दिनांक 26.06.2015 को अपह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जायेगी। दिनांक 26.06.2015 को अंतिम निर्णय नहीं हो पाने पर निविदा वैकल्पिक तिथि 30.06.2015 को पुनः निर्धारित समय अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगी। जिसके लिए अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 10,000.00(रुपये दस हजार मात्र) का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक चक हेतु निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 100.00 नकद जमा कर, एक फोटो, पहचान पत्र व पेन कार्ड की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से सायं 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5/6/12

जुलीफलोरा(विलायती बबूल), अवांछनिय पौधे व झाड़ियों को जमीनी सतह से काटकर तथा आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही खड़े पेड़ों की छंगाई कर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने की नियम एवं शर्तें।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक के लिए धरोहर राशि के रूप में अखरे रुपये 10,000/- (अखरे रुपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट फार्म खजांची के पास जमा/संलग्न करवाना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। जुलीफलोरा के पौधों व झाड़ियों एवं अन्य अवांछनीय पौधे-झाड़ियाँ "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर जमीनी सतह से खोदकर, काटना होगा तथा आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही अनावश्यक पेड़ों की छंगाई कार्य के उपरान्त थिन वेस्ट मेटिरियल को कुत्तर कर तौल के आधार पर कीमत जमा कर ले जाना होगा।
2. ठेका स्वीकृत होने पर जुलीफलोरा पौधों, झाड़ियों एवं अन्य अवांछनिय पौधे झाड़ियों को "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर जमीनी सतह से काटकर कार्य तथा खड़े पेड़ों की जड़ों को उखाड़ने व छंगाई किये जाने वाले पेड़ों को संबंधित चक प्रभारी द्वारा चिह्नित जगह से शुरू करना होगा।
3. आवंटित कार्यों को ठेकेदार अपनी मन-मर्जी से कार्य न करके चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करेगा तथा निर्देशित चक में ही कार्य करेगा।
4. उपर्युक्त कार्य करने का समय सुबह 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक ही रहेगा।
5. जुलीफलोरा की कुत्तर कर तुलाई का कार्य सांय 4.30 बजे तक करवाना होगा।
6. जुलीफलोरा की कुत्तर(वेस्ट मेटिरियल) को तुरन्त फार्म क्षेत्र की परिधि से बाहर करना होगा।
7. ठेकेदार को जो खण्ड/चक आवंटित किया जायेगा, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रुपये दस के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा। उसके अनुसार ही उन्हे कार्य टोकन जारी किया जायेगा। यदि ठेकेदार या उसके कामगार आवंटित क्षेत्र के अलावा फार्म परिसर में खड़े शीशम, कीकर व अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधों को काटते एवं ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो ठेका रद्द करते हुए, ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा व उस पर जुर्माना वसूल किया जा सकता है। ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के साथ साथ उसका नाम काली सूची में भी दर्ज कर दिया जायेगा।
8. ठेकेदार को लगभग 200 क्विंटल जुलीफलोरा की कुत्तर(वेस्ट मेटिरियल) का रिलीज आर्डर अग्रिम लेना होगा।
9. ठेकेदार को प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 क्विंटल जुलीफलोरा की कुत्तर(वेस्ट मेटिरियल) को तौल कर ले जाना जरूरी होगा।
10. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है अथवा नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर, उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
11. कुत्तर(वेस्ट मेटिरियल) भरने से पूर्व ठेकेदार को सुरक्षा विभाग से टोकन लेना आवश्यक है तथा वह टोकन सुरक्षा विभाग को जमा करवाना होगा।
12. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए है। इसे आवश्यकतानुसार घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।
13. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 7 (सात) दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा ठेका रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 90 दिनों(तीन माह) में समाप्त करना होगा अन्यथा ठेका रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा।
16. कार्य स्वीकृति के बाद अखरे रुपये सौ के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर, अपने हस्ताक्षर कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह लिखेगा कि "उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा उसी के अनुरूप कार्य करूंगा"। ठेकेदार से स्टाम्प पेपर प्राप्त होने के बाद ही रिलीज आर्डर किया जायेगा।
17. यदि उपर्युक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सहप्रबन्धक निदेशक, कॉरपोरेट ऑफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को सन्दर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित ऐकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत करवाये। कार्य स्वीकृति के बाद अखरे रुपये सौ के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर, अपने हस्ताक्षर कर इस कार्यालय के पक्षकारान के मध्य बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें। आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से संबंधित होगा।
18. पेन कार्ड नम्बर निविदा से पूर्व देना होगा।

प्रबंधक (उत्पादन)

कृते प्रभारी निदेशक